भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3901
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2019

हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

3901. श्री सुरेश कश्यपः
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में फिक्सड लाइन टेलीफोन/मोबाइल सेवा समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का संचार के ऐसे अन्य कोई साधन का उपयोग करने का विचार है ताकि लोगों को समुचित नेटवर्क सुविध मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों(पीएमआर) के जरिए ट्राई द्वारा ही समय-समय पर जारी किए गए सेवा की गुणवत्ता(क्यूओएस) विनियमों के अनुसार और ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के विभिन्नमापदंडों से संबंधितबेंचमार्क के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के निष्पादन पर नज़र रखता है। निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए किया जाता है।

ट्राई द्वारा सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए बेसिक एवं सेल्यूलर सेवाओं हेतु ट्राई के पीएमआर के अनुसार, सभी सेवा प्रदाता हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र में सभी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्र इकाइयों की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन/मोबाइल सेवा उचित रूप से कार्य कर रही है।

(ख) सरकार द्वारा देश के वंचित (अनकवर्ड) क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क में सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है:

- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चरण-II परियोजना के तहत, सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2217 मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी है।

- वंचित सीमा क्षेत्रों,लद्दाख एवं कारगिल क्षेत्रऔर अन्य तरजीही क्षेत्रों में स्थित 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए योजना।

- वंचितगांवों में और राष्ट्रीय राजमार्गो के साथ-साथ मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए और ट्रांसमीशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना;

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु चैन्नई तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 4 जीबीपीएस तक सैटेलाइट बैंडविथ की वृद्धि।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वंचित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 223) को कवर करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी।

- लक्षद्वीप के लिए सेटलाइट बैण्ड विड्थ को बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस तक करना।

- भारत नेट परियोजना के तहत देश के भीतर लगभग सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।

- आधारभूत अवसंरचना वृद्धि को सुगम बनाने के लिए कई नीतिगत पहले भी की गई हैं, जिनमें पहले से स्वीकृत स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग/शेयरिंग/लिब्रलाइजेशन की अनुमति,निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी ढांचे के बंटवारे की अनुमति, मार्गाधिकार नियम-2016 की अधिसूचना, टावरों के संस्थापन के लिए सरकारी भूमि/भवनों को उपलब्ध कराना शामिल है।

*****